।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक 119 /12–1 ,गोपेश्वर, दिनांक 08/07 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में ल्वां–दिगोली मोटर मार्ग से मेहरगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.713 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/138/2016/एफ0सी0/1317 दिनांक 22.09.2020.**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार पूर्व में इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की गयी, जिसके क्रम में आपकी पत्र सं0 1136/24 एल0ए0 दिनांक 28.06.2021 से वित्तीय वर्ष 2020–21 में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 में पुनः मांग पत्र उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है, के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2021–22 में संशोधित दरों के अनुसार मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

1– शर्त सं0 01 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रिक्त पड़े स्थानो पर 1660 पौधो का रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि / Ca rate of 1.66 है0 area में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 1459/3–5–2 पी0ओ0 दिनांक 01.07.2021 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये निर्धारित दर रू0 3,70,902.00 के अनुसार 1.66 ha x 3,70,902.00=6,15,697.32 या देय धनराशि **रू0 6,15,697.00** मात्र जमा की जानी है।

2. शर्त सं0 02 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार देय 0.713 है0 दर 8,45,000.00= रू0 6,02,485.00 जमा की जानी है।

अतः उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।